समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित ::– राजेन्द्र कुमार–IV,एच0जे0एस0,–––––––अध्यक्ष ।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–186/18–––––––––––वर्ष 2013–14

सर्वश्री मीनल हाउसिंग प्रा0लि0,साहिबाबाद,गाजियाबाद।

बनाम

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :– (आवेदक की ओर से श्री पुनीत कुमार, अधिवक्ता)
(विपक्षी की ओर से श्री एस0के0जैन, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

यह अन्तरण प्रार्थना–पत्र सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 गाजियाबाद के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या–940/2017 वर्ष 2013–14 (अर्थदंड) को अन्यत्र अन्तरित किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पीठ–2 गाजियाबाद में इस समय कोई सदस्य नियुक्त नहीं है, जिसके कारण अपील का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अपील में विधिक बिन्दु निहित है। व्यापार पूर्णतः बन्द हो गया है। अंतिम कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है तथा अर्थदंड के आधार पर अनुचित रूप से अत्यधिक कर आरोपित कर दिया गया है। अतः अपील का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। कथनों की पुष्टि में शपथ–पत्र दिया गया है। उपरोक्त के आधार पर अपील शीघ्र निस्तारण हेतु अन्य पीठ को अन्तरित किये जाने का निवेदन किया गया।

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित पीठ की आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि लम्बित द्वितीय अपील एकल पीठ से सम्बन्धित है। सदस्य का पद दिनांक 01.02.2018 से रिक्त है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि को सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये आधारों को ही बहस में बल दिया। अन्तरण प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया, किन्तु आवेदक की ओर से दिये गये शपथ–पत्र के विरूद्व कोई प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 गाजियाबाद में कोई पीठासीन अधिकारी कार्यरत नहीं है। अतःसमस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय हित में अपील अन्य पीठ में अन्तरित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

तद्नुसार अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। द्वितीय अपील संख्या–940/2017 वर्ष 2013–14 को सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 गाजियायाबाद से वापिस लेकर सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम, नोएडा को विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

दिनांकः 09 :अप्रैल–2018

ह0–09.4.18
(राजेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।